न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 20 / 2019

1 रामगोपाल
2 बद्रीनारायण
3 मालीराम
4 सुभाषचन्द पुत्रगण
स्व. मुक्तीलाल समस्त जाति महाजन निवासीगण सांवलपुरा तंवरान उप तहसील अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश
2 मदनलाल पुत्रगण स्व. किशनाराम जाति ब्राह्मण निवासीगण सांवलपुरा तंवरान उप तहसील अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
3 केशरी देवी
4 नर्बदा देवी पुत्रियां श्री नृसिंहराम समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण सांवलपुरा तंवरान उप तहसील अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
5 बनवारीलाल
6 राधेश्याम
7 मदनलाल पुत्रगण नृसिंहराम समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण सांवलपुरा तंवरान उप तहसील अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
8 दीपेन्द्र सिंह पुत्र श्री रतन सिंह जाति राजपूत निवासी मण्ढ़ा तन देवीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
9 उप पंजीयक अजीतगढ़ जिला सीकर।
10 उप तहसीलदार अजीतगढ़ जिला सीकर।
11 पटवारी हल्का चीपलास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांकित 08.02.2019 एवं इसकी पालना मे जारी की गई डिक्री दिनांकित 03.04.2019 सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) श्रीमाधोपुर जिला सीकर जिसके अनुसार अपीलान्टस/वादीगण का दावा उनवानी रामगोपाल वगै. विपरित ओमप्रकाश वगै. संख्या 861/2017 का वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी कतई गलत रूप से कानून के प्रावधानों के विपरित खारिज किया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री मदनलाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

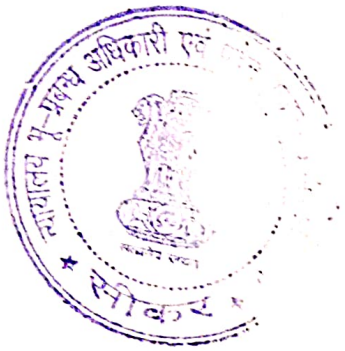

—निर्णय—

दिनांकः— 16/2/26

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 861/2017 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 503 वाके ग्राम भोजमेड़ हाल तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रावधानों के अनुसार वाद पत्र Reject

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

(अग्रहीत) किया जा सकता है। उक्त प्रावधानों के अनुसार वाद पत्र खारिज नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि धारा 151 सीपीसी के प्रावधान आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के साथ प्रयोग में नहीं लाए जा सकते है। धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों का तभी अवलम्ब लिया जा सकता है, जब विवादित विषय में अन्य प्रावधान नहीं हो। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में **Sub Clauses - A** से लेकर **F** तक के प्रावधान दिये हुए है। ये प्रावधान पूर्ण एवं स्पष्ट है। केवल इन्हीं के अन्तर्गत वाद पत्र को **Reject** किया जा सकता है। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए केवल वादपत्र का ही अवलोकन करना आवश्यक होता है। जवाबदावा में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर वाद पत्र को कानूनन **Reject** नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 8 ने पने आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में वाद पत्र के पोषणीय नहीं होने के ती कारणों का उल्लेख किया है, प्रथम चुनौतीग्रस्त विक्रय पत्र को शुन्य या निरस्त करने का सुनवाई के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर केवल मात्र सिविल न्यायालय को है, द्वितीय–वादीगण को वाद नियोजन के लिए वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ एवं तृतीय पक्षकारों का कुसंयोजन कर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त तीनों में से प्रथम वाद कारण उत्पन्न नहीं होना मानकर एंव तृतीय पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण मानकर विचारण न्यायालय द्वज्ञरा वादीगण का वाद पत्र गलत रूप से खारिज किया है। उपरोक्त तीनों ही आधार आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में **Cover** नहीं होते है। वाद कारण उत्पन्न होने अथवा नहीं होने का बिन्दु साक्ष्य का विषय है। इसका निर्धारण पक्षकारों की साक्ष्य लेकर ही किया जा सकता है। मात्र प्रतिवादी द्वारा यह आपत्ति उठाने पर कि वादीगण को वाद नियोजन के लिए वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ, किसी भी वाद पत्र को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत अग्रहीत नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 8 का आचरण विरोधाभाषी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। एक तरफ प्रतिवादी संख्या 8 वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में खारिज करवाने का आवेदन प्रस्तुत कर रहे है, वही दूसरी तरफ जवाबदावा के साथ अपना काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। दोनों बातें घोर विरोधाभाषी है। एक बार काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर देने के पश्चात बिना उसकी पूर्ण सुनवाई किये अथवा बिना काउन्टर क्लेम को **Withdraw** किये वाद पत्र अथवा वाद को अग्रहित नहीं किया जा सकता है। काउन्टर क्लेम का निस्तारण गुणावगुण पर करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में एआईआर 2001 केरला पेज 353, एआईआर 1996 उड़ीसा पेज 163, एआईआर कलकता 1986 पेज 120, एआईआर 2011 झारखण्ड पेज 113, एआईआर 2008 मद्रास पेज 165, एआईआर 1983 राज. पेज 3, एआईआर 2011 गुजरात पेज 42 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 503 वाके ग्राम भोजमेड़ हाल तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के खारिज कर दिया। प्रतिवादीगण/अप्राथीगण ने अपने कब्जे काश्त व हक अधिकारी की भूमियों को विरासत में प्राप्त कर उक्त भूमियों को जरिये रजिस्टर्ड विकय लेख दिनांक 23.10.2015 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर मौके पर भूमियां के केता/प्रतिवादी/अप्रार्थी नम्बर 8 दीपेन्द्रसिंह को संभलाकर विकय लेख करवा दिया है जिसके आधार पर उक्त भूमियों की खातेदारी विकेता/प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण नम्बर 3 ता 7 के बजाया केता/प्रतिवादी/अप्रार्थी नम्बर 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड जरिये नामान्तकरण संख्या 63 के द्वारा प्रतिवादी/अप्रार्थी नम्बर 8 दीपेन्द्र के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई है जिसको रजिस्टर्ड रहन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रखकर ऋण राशि उक्त भूमियों पर बैंक से प्राप्त कर रखा है। प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 7 ने अपनी खातेदारी की वाद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 503 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख प्रतिवादी/अप्रार्थी नम्बर 8 दीपेन्द्र को बेचान कर दिया है तथा उक्त विक्रय पत्र को शुन्य या निरस्त करने का एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर केवल मात्र सिविल न्यायालय को है। इसलिए वादीगण का वादपत्र कानून विधिक दृष्टि से चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 503 के बाबत वादीगण/प्रार्थीगण के वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा लाने का कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है, ना ही कानूनन हो सकता है, ना ही वादीगण/प्रार्थीगण का वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जब तक सक्षम सिविल न्यायालय को विक्रय पत्र को शुन्य या निरस्त नहीं कराया जाता है, वादीगण/प्रार्थीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद करण के अभाव में वाद वादी विधि द्वारा वर्जित मानकर आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 503 वाके ग्राम भोजमेड़ हाल तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के खारिज कर दिया।

विधि अनुसार आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रावधानों के अनुसार वाद पत्र **Reject** (अग्रहीत) किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि धारा 151 सीपीसी के प्रावधान आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के साथ प्रयोग में नहीं लाए जा सकते है। धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों का तभी अवलम्ब लिया जा सकता है, जब विवादित विषय में अन्य प्रावधान नहीं हो। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में **Sub**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Clauses - A से लेकर F तक के प्रावधान दिये हुए है। ये प्रावधान पूर्ण एवं स्पष्ट है। केवल इन्हीं के अन्तर्गत वाद पत्र को Reject किया जा सकता है।

आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए केवल वादपत्र का ही अवलोकन करना आवश्यक होता है। जवाबदावा में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर वाद पत्र को कानूनन Reject नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 8 ने अपने आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में वाद पत्र के पोषणीय नहीं होने के तीन कारणों का उल्लेख किया है, प्रथम चुनौतीग्रस्त विक्रय पत्र को शुन्य या निरस्त करने का सुनवाई के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर केवल मात्र सिविल न्यायालय को है, द्वितीय–वादीगण को वाद नियोजन के लिए वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ एवं तृतीय पक्षकारों का कुसंयोजन कर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त तीनों में से प्रथम वाद कारण उत्पन्न नहीं होना मानकर एंव तृतीय पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण मानकर विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र गलत रूप से खारिज किया है। उपरोक्त तीनों ही आधार आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में Cover नहीं होते है।

वाद कारण उत्पन्न होने अथवा नहीं होने का बिन्दु साक्ष्य का विषय है। इसका निर्धारण पक्षकारों की साक्ष्य लेकर ही किया जा सकता है। मात्र प्रतिवादी द्वारा यह आपत्ति उठाने पर कि वादीगण को वाद नियोजन के लिए वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ, किसी भी वाद पत्र को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत अग्रहीत नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 8 का आचरण विरोधाभाषी है। एक तरफ प्रतिवादी संख्या 8 वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में खारिज करवाने का आवेदन प्रस्तुत कर रहे है, वही दूसरी तरफ जवाबदावा के साथ अपना काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। एक बार काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर देने के पश्चात बिना उसकी पूर्ण सुनवाई किये अथवा बिना काउन्टर क्लेम को Withdraw किये वाद पत्र अथवा वाद को अग्रहित नहीं किया जा सकता है। काउन्टर क्लेम का निस्तारण गुणावगुण पर करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वाद एवं काउन्टर क्लेम के संदर्भ में विधिक प्रकिया अपनाकर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर वाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.02.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16/2/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

([illegible] कुमार II)
प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर